न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 311 सन 2021

उनवान :–

1. रामप्रताप पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. उदमीराम पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर (फौत)
2. खिवणी पत्नी उदमीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. शिशपाल पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. कृष्ण पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
5. कमला पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
7. मुकेश पुत्र सिलोचना पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
8. विजयसिह पुत्र सिलाचना पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राकेश पुत्र सिलोचना पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 17/02/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 6.8310हैक में से 1/6 हिस्सा व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी ए के खाता संख्या 7/34 की कुल 4.5540हैक में से 1/ 6 हिस्सा, व रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 17/96 की कुल 14.4680हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उदमीराम पुत्र नानूराम के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उदमीराम वल्द नानूराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है उदमीराम पुत्र नानुराम का देहानत हो चुका है तथा उदमीराम वल्द नानुराम की एक पुत्री सिलोचना का भी देहानत हो चुका है इसप्रकार उदमीराम वल्द नानुराम के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 है जो उदमीराम वल्द नानूराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार विरासतन से पाने के अधिकारी है ।

प्रतिवादी संख्या 1/1 वादी की माता है जो भूमि काश्त करने में असमर्थ है प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 वादी की बहने है एवं उदमीराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 वादी की बहन सिलोचना के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1/1 ,4 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की उदमीराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके पिता उदमीराम पुत्र नानुराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है उदमीराम की एक पुत्री सिलोचना का भी देहान्त हो चुका है इसलिये उदमीराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1/1 से 8 है जो उदमीराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 ,4 ता 8 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 6.8310हैक्ट में से 1/6 हिस्सा व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी ए के खाता संख्या 7/34 की कुल 4.5540हैक्ट में से 1/ 6 हिस्सा, व रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 17/96 की कुल 14. 4680हैक्ट में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उदमीराम पुत्र नानूराम के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उदमीराम वल्द नानूराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है उदमीराम पुत्र नानुराम का देहानत हो चुका है तथा उदमीराम वल्द नानुराम की एक पुत्री सिलोचना का भी देहानत हो चुका है इसप्रकार उदमीराम वल्द नानुराम के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 है जो उदमीराम वल्द नानूराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार विरास्तन से पाने के अधिकारी है ।

प्रतिवादी संख्या 1/1 वादी की माता है जो भूमि काश्त करने में असमर्थ है प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 वादी की बहने है एवं उदमीराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 वादी की बहन सिलोचना के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1/1 ,4 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है जिसे प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 6.8310हैक्ट में से 1/6 हिस्सा व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी ए के खाता संख्या 7/34 की कुल 4.5540हैक्ट में से 1/ 6 हिस्सा, व रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 17/96 की कुल 14.4680हैक्ट में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उदमीराम पुत्र नानूराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उदमीराम वल्द नानुराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है उदमीराम का देहानत हो चुका है एव उदमीराम की पुत्री सिलोचना का भी देहान्त हो चुका है इसलिये उदमीराम के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1/1 से 8 है जो वाद भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1/1 से 8 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1/1 से 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1/1 से 8 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हको का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है ।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 6.8310हैक्ट में से 1/6 हिस्सा व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी ए के खाता संख्या 7/34 की कुल 4.5540हैक्ट में से 1/ 6 हिस्सा, व रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 17/96 की कुल 14.4680हैक्ट में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उदमीराम पुत्र नानूराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामप्रताप पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 उदमीराम पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर (फौत)
2. खिवणी पत्नी उदमीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. शिशपाल पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. कृष्ण पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
5. कमला पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
7. मुकेश पुत्र सिलोचना पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
8. विजयसिह पुत्र सिलाचना पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राकेश पुत्र सिलोचना पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 311 सन 2021 निर्णय दिनांक– 17/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 278 की 6.8310हैक में से 1/6 हिस्सा व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी ए के खाता संख्या 7/34 की कुल 4.5540हैक में से 1/ 6 हिस्सा, व रोही मौजा ढण्ढेला बारानी के खाता संख्या 17/96 की कुल 14.4680हैक में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उदमीराम पुत्र नानूराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/2/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner